<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल</u>

संख्याः-01/2020/ 700/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2020**

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं 0-198/एक-11-2020- रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो कि मा 0 मंत्री समिति द्वारा दिनांक-20.03.2020 को दी गयी रिपोर्ट में की गयी 07 संस्तुतियों के अनुक्रम में है। उपरोक्त रिपोर्ट में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को सहायता देने की संस्तुतियां (संस्तुति बिन्दु संख्यावार) की गयी हैः-

संस्तुति बिन्दु संख्या 2. प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

संस्तुति बिन्दु संख्या 3. शहरों में घुमंतू प्रकृति जैसे-ठेला, खोमचे, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 5. मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार , जिनकी संख्या 88.40 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 6. प्रदेश में अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारक, जिनकी संख्या-40.94 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 7. प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन , दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु पेंशन) जिनकी कुल संख्या-83.83 लाख है।

तदनुसार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के क्रम में बिन्दु संख्या- 03 के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 198/एक-2020-रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 के प्रस्तर 6 (II) के अनुसार कार्यवाही करने एवं सूचनायें संकलित किये जाने हेतु पूर्व में ही नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-425/38-7/2020, दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त के दृष्टिगत सूचना के संकलन के लिये विभिन्न निकाय द्वारा इस आशय की जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु निकाय में प्रभावी रूप से लॉकडाउन की सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत अपेक्षित सूचना के संकलन हेतु सर्वे अथवा फार्म भरे जाने हेतु लाभार्थियों को चिन्हित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न कर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निम्न मुख्य बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तायक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1. पथ विक्रेताओं के विषयगत सर्वेक्षण/ पंजीकरण का कार्य अधिकांश निकायों में कराया गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त सर्वे/सत्यापित डेटा की सूची के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र पर सूचना की सही प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

2. उपरोक्त सर्वेक्षण/पंजीकरण की सूची के अतिरिक्त निकायों में विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय/कार्यों जैसाकि रिक्शा/तांगा/टैम्पों/आटो/ई-रिक्शा के विषयगत निकाय द्वारा लाइसेन्स दिये जाते है। साथ ही साथ टैम्पों/ ई-रिक्शा हेतु संबंधित वाहन/चालक का पंजीकरण परिवहन विभाग में भी उपलब्ध हो सकता है। अतएवं उक्त श्रेणी के व्यवसाय /कार्य करने वाले अर्थात दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पूर्व से निकाय अथवा जनपद स्तर पर किसी अन्य विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों के डेटा की सूची को भी तदनुसार प्राप्त कर यथाशीघ्र निर्धारित प्रारूप पर संकलित कियया जा सकता है। (**विशेष नोट- निर्माण कार्य के श्रमिकों केा इसमें सम्मिलित न किया जाये क्योंकि उपरोक्त हेतु पृथक से श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।)**

3. उपरेाक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने में निकाय अन्तर्गत अधिकाशतः इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची तैयार की जा सकती है , जोकि दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते है। उपरोक्त सूचना संकलन में विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के विषय में निकाय/जनपदों में उनके संगठन की भी सहायता ली जा सकती है जैसाकि रिक्शा चालक संघ /व्यापार मण्डल/साप्ताहिक बाजार संघ /पल्लेदारों के विषयगत बाजार संघ इत्यादि। उपरोक्तानुसार ऐसे संघ/यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर उपके द्वारा भी तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर निकाय को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त को सत्यापित करते हुये तदनुसार सूची तैयार करायी जा सकती है। यह ध्यान रखे की प्रारूप पर संकलन किये जाने में आधार कार्ड नं 0 के विषयगत यू 0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने के विषय में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि उक्तानुसार आकडों के संग्रहण को प्रभावी रूप से किये जाने में किसी भी प्रकार के कोई आवेदन फार्म सामान्य रूप से वितरित किये जाने का कार्य अथवा इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि किये जाने का कार्य न किया जाये , जिससे कि अनावश्यक रूप से आम जन को उक्त हेतु बाहर आना हो अथवा किसी कार्यालय पर आना हो और नगर में लागू लॉकडाउन की स्थिति प्रभावित होने की कोई सम्भावना विद्यमान हो अथवा किसी स्थल पर भीड़-भाड़/ जन समूह एकत्रित हो।

4. उक्त कार्य को पूर्ण रूप से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है कि आरम्भिक चरण में संबंधित व्यक्तियों के विषय में पूर्व से विभिन्न स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ/यूनियन आदि के पदाधिकारी के साथ इस विषय पर समन्वय कर तदनुसार अपेक्षित सूचना तैयार कर ली जाये।

5. जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश यंख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक- 24 मार्च , 2020 में निर्दिष्ट है , तदनुसार जनपद स्तर पर उपरोक्त लाभार्थियों कर सूची का संकलन नगरीय निकायों के विषयगत निम्नवत् सुनिश्चित किया जायेगाः-

(क) समस्त नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा लाभार्थियों की सूची संकलित करते हुये धनराशि आंवटित किये जाने हेतु उपरोक्त सूची जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) में उपरोक्तानुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा तैयार करते हुये निकाय के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अपर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तानक्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

6. जैसाकि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक-24.03.2020 के प्रस्तर-4 में वर्णित है कि सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते है , जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। उपरोक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहां नगर निगम है वहां नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा जो ऐसे व्यक्तियों /परिवारों/लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के विषयगत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारी की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। तदनुसार गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा इस विषयगत नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलसधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी।

7. कृपया कियी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेतु डा 0 काजल, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय की ई-मेल **आई0 डी0- diruplb2012@gmail.com** से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः-</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में शासन को यथाशीघ्र आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता।क्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।